संख्या-103/2025/196के-2/22-3-2024-17(108)/16

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024), दिनांक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी ग्राम-पांडली मांडू, थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। दिनांक 25-08-1998 को बंदी ने अपनी पूर्व पत्नी श्रीमती रीना चौधरी द्वारा किये गये मुकदमे का प्रतिशोध लेने और अपनी पत्नी के गर्भ में अपने साढू जगवीर की संतान होने के संदेह में अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू मारकर अपनी पत्नी श्रीमती ममता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-96/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 211 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01 बिजनौर के आदेश दिनांक 16.10.2008 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-11-2009 द्वारा उक्त मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.05.2023 तक 14 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 10 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 58 वर्ष, 08 माह, 26 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 25-08-1998 को बंदी ने अपनी पूर्व पत्नी श्रीमती रीना चौधरी द्वारा किये गये मुकदमे का प्रतिशोध लेने और अपनी पत्नी के गर्भ में अपने साढू जगवीर की संतान होने के संदेह में अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू मारकर अपनी पत्नी श्रीमती ममता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह (बंदी संख्या-16027) पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-196(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-103/2025/196के-2/22-3-2024-17(108)/16

दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह (बंदी संख्या-16027) पुत्र श्री हरपाल सिंह, निवासी ग्राम-पांडली मांडू, थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। दिनांक 25-08-1998 को बंदी ने अपनी पूर्व पत्नी श्रीमती रीना चौधरी द्वारा किये गये मुकदमे का प्रतिशोध लेने और अपनी पत्नी के गर्भ में अपने साढू जगवीर की संतान होने के संदेह में अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू मारकर अपनी पत्नी श्रीमती ममता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-96/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 211 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01 बिजनौर के आदेश दिनांक 16.10.2008 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-11-2009 द्वारा उक्त मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.05.2023 तक 14 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 10 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 58 वर्ष, 08 माह, 26 दिन है।जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 25-08-1998 को बंदी ने अपनी पूर्व पत्नी श्रीमती रीना चौधरी द्वारा किये गये मुकदमे का प्रतिशोध लेने और अपनी पत्नी के गर्भ में अपने साढू जगवीर की संतान होने के संदेह में अपने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू मारकर अपनी पत्नी श्रीमती ममता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in